UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन

हल प्रश्न-पत्र I-IV 2019-2023

CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन

प्रश्न–पत्र I-IV प्रश्नोत्तर रूप में

विगत वर्ष (PYQ) अध्यायवार हल 2019-2023

1988–2018 अध्यायवार हल प्रश्न–पत्र

chronicleindia.in पर निःशुल्क उपलब्ध

यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन

प्रश्न-पत्र I-IV प्रश्नोत्तर रूप में

विगत वर्ष (PYQ) अध्यायवार हल 2019-2023

वर्ष 2019 से पूर्व के हल प्रश्न-पत्रों के अध्ययन हेतु आप **chronicleindia.in** पर विजिट कर सकते हैं; ये प्रश्न-पत्र पाठकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं।

इन प्रश्न-पत्रों का हल यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुरूप किया गया है। यह पुस्तक सभी राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी हैं।

संपादक
एन. एन. ओझा

हल
क्रॉनिकल संपादकीय समूह

CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

.....अनुक्रमणिका

प्रथम प्रश्न–पत्र

- भारत एवं विश्व का इतिहास 1-11
- भारतीय विरासत एवं संस्कृति 12-17
- समाज 18-28
- भूगोल 29-50

द्वितीय प्रश्न–पत्र

- भारतीय राजव्यवस्था 1-27
- सामाजिक न्याय 28-39
- अंतरराष्ट्रीय संबंध 40-50

तृतीय प्रश्न–पत्र

- भारतीय अर्थव्यवस्था 1-18
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 19-27
- पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन 28-40
- सुरक्षा 41-52

चतुर्थ प्रश्न–पत्र

- नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि 1-27
- केस स्टडी 28-58

यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा

पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन –I

भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज
(Indian Heritage and Culture, History and Geography of the World and Society)

- भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे।
- 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास-महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय।
- स्वतंत्रता संग्राम-इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति/उनका योगदान।
- स्वतंत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन।
- विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव।
- भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता।
- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय।
- भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव।
- सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।
- विश्व के भौतिक-भूगोल की मुख्य विशेषताएं।
- विश्वभर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण (दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए), विश्व (भारत सहित) के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक।
- भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान-अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं (जल-स्रोत और हिमावरण सहित) और वनस्पति एवं प्राणि-जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव।

सामान्य अध्ययन –II

शासन व्यवस्था, संविधान, शासन-प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध
(Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International Relations)

- भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।
- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।
- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।
- भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना।
- संसद और राज्य विधायिका-संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।
- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य-सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/ अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व।
- सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।
- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।
- विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग-गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।
- गरीबी और भूख से संबंधित विषय।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।
- लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका।
- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।
- भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।
- महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

सामान्य अध्ययन -III

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन (Technology, Economic Development, Biodiversity, Environment, Security and Disaster Management)

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।
- समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय।
- सरकारी बजट।
- मुख्य फसलें-देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न-सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली-कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विणपन, संबंधित विषय और बाधाएं; किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय; जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु-पालन संबंधी अर्थशास्त्र।
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग-कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
- भारत में भूमि सुधार।
- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।
- बुनियादी ढांचा : ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।
- निवेश मॉडल।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।
- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, बायो-टेक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।
- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।
- आपदा और आपदा प्रबंधन।
- विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध।
- आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका।
- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन-संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।
- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश

सामान्य अध्ययन –IV

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि (Ethics, Integrity and Aptitude)

इस प्रश्न-पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार-व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न-पत्रों में किसी मामले के अध्ययन (केस स्टडी) का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।

- नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंध: मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम: नीतिशास्त्र के आयाम; निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। मानवीय मूल्य-महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा; मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका।
- अभिवृत्ति: सारांश (कंटेन्ट), संरचना, वृत्ति; विचार तथा आचरण के प्ररिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध; नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि; सामाजिक प्रभाव और धारणा।
- सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना।
- भावनात्मक समझ: अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग।
- भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान।
- लोक प्रशासनों में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र: स्थिति तथा समस्याएं; सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं; नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतर्रात्मा; शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण; अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था (फंडिंग) में नैतिक मुद्दे; कॉरपोरेट शासन व्यवस्था।
- शासन व्यवस्था में ईमानदारी: लोक सेवा की अवधारणा; शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां।
- उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)।

प्रश्न-पत्र I

CHAPTER 1

भारत एवं विश्व का इतिहास

प्रश्नः वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं? (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तरः वैदिक काल के समय को लगभग 1500 ई.पू. से 500 ई.पू. तक माना जाता है। वैदिक काल को प्रारंभिक वैदिक (ऋग्वैदिक) काल तथा उत्तर-वैदिक काल में विभाजित किया जाता है। वैदिक परंपराएं भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में गहराई से निहित हैं तथा आधुनिक भारतीय समाज एवं धर्म के विभिन्न पहलुओं पर इनके स्थायी प्रभाव देखे जा सकते हैं।

वैदिक काल

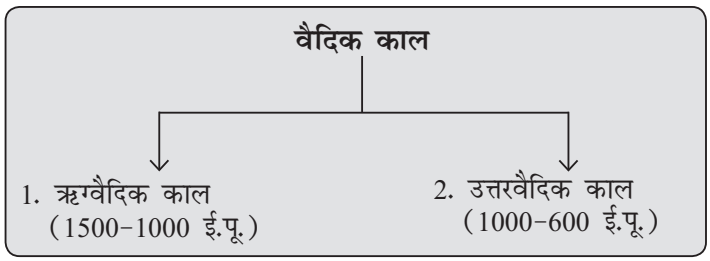

1. ऋग्वैदिक काल (1500-1000 ई.पू.)
2. उत्तरवैदिक काल (1000-600 ई.पू.)

वैदिक समाज की विशेषताएं

- **परिवारः** वैदिक काल में परिवार समाज की प्रारंभिक इकाई थी। परिवारों का सामूहिक नेतृत्व समाज के बुजुर्ग पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता था। समाज में पुत्र के जन्म को शुभ माना जाता था।
- **वर्ण व्यवस्थाः** ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। किंतु, इसका प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था, जहां समाज को चार (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) अलग-अलग वर्णों में विभाजित किया गया था।
- **महिलाओं की स्थितिः** प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को समाज में काफी हद तक स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, दार्शनिक बहसों में भाग लेने और यहां तक कि शाही सभाओं में भाग लेने का विशेषाधिकार प्राप्त था।
- **पशुचारणः** वैदिक समाज का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था, जो बाद में कृषक समाज में परिवर्तित हो गया। गाय को मुख्य धन माना जाता था। गोत्र, गोष्ठी, गविष्टि, गोधूलि आदि शब्द समाज में गाय के महत्व को प्रदर्शित करते हैं।
- **शिक्षा एवं साहित्यः** वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी तथा शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी, जहां छात्र शिक्षक के साथ रहते थे और भाषा, व्याकरण, दर्शन एवं कई अन्य विद्याएं सीखते थे।

वैदिक धर्म की विशेषताएं

- **बहुदेववादः** प्रारंभ में वैदिक धर्म में बहुदेववाद के तत्व थे। देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों की अभिव्यक्ति माना जाता था।
  - ऋग्वैदिक काल में इंद्र, वरुण और अग्नि प्रमुख देवता थे जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और रुद्र-शिव ने उनका स्थान ले लिया।
- **अनुष्ठान और बलिदानः** देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किये जाते थे। यज्ञ में देवताओं को दूध, अनाज, घी तथा सोम जैसी आहुतियां दी जाती थीं। उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठान अधिक धूमधाम से मनाए जाने लगे और समाज पर पुरोहित वर्गों का प्रभुत्व स्थापित हो गया।
  - राजा अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए 'राजसूय', 'वाजपेय' और 'अश्वमेध' यज्ञ करते थे। पशु बलि वैदिक धर्म का केंद्र बन गया था।

वैदिक कालीन विशेषताओं की वर्तमान प्रासंगिकता

- वर्तमान समय में भी विशेषकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रथा, परिवार में बुजुर्गों का महत्त्व, पुत्र को महत्त्व आदि वैदिक कालीन विशेषताएं देखने को मिलती है।
- वर्तमान समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था का उद्भव वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था से ही माना जाता है।
- जिस प्रकार वैदिक काल में गाय का स्थान महत्वपूर्ण था उसी प्रकार वर्तमान में भी हम देखते है की भारतीय समाज में गाय का विशेष महत्त्व है तथा उसे पूजनीय माना जाता है।
- वैदिक कालीन बहुदेववाद का आज के समाज में भी पालन किया जाता है तथा लोगों द्वारा अलग अलग देवताओं जैसे शिव, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा आदि की पूजा की जाती है।
- वर्तमान समाज में भी जब भी कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो अग्नि में आहुति दी जाती है तथा विभिन्न अवसरों पर यज्ञों और अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है।

इस प्रकार वैदिककालीन अनेक सामाजिक-धार्मिक प्रथाओं और परम्पराओं की प्रासंगिकता हमे वर्तमान समाज में भी देखने को मिलती है।

प्रश्नः प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तरः भारत विश्व की सर्वाधिक पुरानी एवं सतत सभ्यताओं में से एक है। भौगोलिक कारकों ने प्राचीन समय से ही भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

CHAPTER 2

प्रश्न-पत्र I

भारतीय विरासत एवं संस्कृति

प्रश्न: सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे? उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया था? (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तर: 1206 ई. से 1526 ई. तक का समय दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में विभिन्न राजवंशों के कई शासकों की शासन पद्धति देखने को मिलती है। दिल्ली सल्तनत के शासक तुर्क-अफगान मूल के थे, जिन्होंने भारत में कई नई तकनीकें पेश कीं।

सल्तनत काल में प्रमुख तकनीकी विकास

- **वास्तुकला:** सल्तनत काल में भारत में पहली बार मेहराब और गुंबदों की शुरुआत देखी गई। सीमेंटिंग एजेंट के रूप में चूने का उपयोग शुरू हो गया और जिप्सम और चूने के पेस्ट का उपयोग अब पलस्तर एजेंट के रूप में किया जाने लगा।
- **कृषि:** फारसी पहिये की शुरूआत से कृषि उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई। भूमि को मापने के लिए सिकंदर लोदी ने नई माप इकाई 'गज-ए-सिकंदरी' की शुरुआत की। इसी प्रकार, फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में विभिन्न तकनीकों को अपनाया, उनके द्वारा लगभग 1200 फलों के बागानों की स्थापना की गई।
- **सैन्य तकनीक:** तुर्क शासको को भारत में बेहतर घुड़सवारी तकनीक लाने के लिए जाना जाता है। तुर्की के तीरंदाजों ने नई तकनीक से निर्मित 'नाविक' नामक धनुष का उपयोग किया।
- **वस्त्र:** कॉटन कार्डर बो (धुनिया) के उपयोग से कपास को तेजी से साफ किया जाने लगा। चरखे के प्रचलन से वस्त्र उत्पादन में भी सुधार हुआ।
- **शिल्पकला:** इस अवधि में कागज के उपयोग को बढ़ावा मिला तथा बुकबाइंडिंग की तकनीक शुरू हुई। मध्य एशिया के प्रभाव के कारण कांच बनाने की तकनीक में सुधार हुआ। सुल्तानों ने चमड़ा उत्पादन, कालीन और शॉल उत्पादन, पत्थर पॉलिशिंग में नई तकनीकों को अपनाया।

भारतीय समाज पर प्रभाव

- प्रौद्योगिकी के आगमन से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और यह अधिशेष उत्पादन मध्ययुगीन युग में प्राथमिक एवं तृतीयक गतिविधियों तथा शहरी जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था।
- इस काल में आर्थिक गतिविधियाँ अधिक गतिशील और विविध हो गई; उत्पादन के पैमाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिससे अंततः व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिली।
- दो अलग-अलग स्थापत्य शैलियों के मेल से इंडो-इस्लामिक स्थापत्य शैली का विकास हुआ और वास्तुकला को एक नई पहचान प्राप्त हुई।
- कागज के प्रयोग से लेखन गतिविधियां विकेन्द्रीकृत हो गई। इस काल के शाही दस्तावेजों के अलावा कई साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं। ये स्रोत हमें भी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं।

सल्तनत काल के दौरान लागू किए गए तकनीकी परिवर्तनों ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इससे विविध सांस्कृतिक तत्वों के संश्लेषण में मदद मिली तथा आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शहरी विकास को बढ़ावा मिला।

प्रश्न: भारतीय मिथक, कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2022)

उत्तर: प्राचीन काल से ही सिंह और वृषभ का हिंदू धर्म के साथ-साथ बौद्ध एवं जैन धर्म में भी विशेष महत्व रहा है। इन दोनों पशुओं का प्रतीकात्मक महत्व भी रहा है। विभिन्न धर्मों से संबद्ध आराध्य देवों के जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ इन दोनों पशुओं का समावेश किया गया है।

भारतीय मिथक, कला एवं वास्तुकला की दृष्टि से सिंह एवं वृषभ का महत्व निम्नलिखित है -

भारतीय मिथक पौराणिक कथाओं में सिंह एवं वृषभ

- हिंदू धर्म में सिंह का पौराणिक महत्व है। देवी दुर्गा की सवारी सिंह है। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार में विष्णु का मुख सिंह के समान है।
- बुद्ध को 'शाक्यसिंह' भी कहा जाता है। बुद्ध द्वारा उपदेशित धम्म चक्रप्रवर्तन सुत्त को बुद्ध की सिंहगर्जना कहा गया है।
- जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का प्रतीक चिह्न सिंह है। भगवान महावीर ने अपने उपदेश में कहा कि तुम सिंह के समान पराक्रमी और निर्भय बनो, क्योंकि कमजोर की सहायता कोई नहीं करता है, सभी उसे खा जाना चाहते हैं।
- हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में शामिल शिव का वाहन नंदी है, जो एक वृषभ है।
- हिंदू धर्म में वृषभ समृद्धि का प्रतीक है।
- सिंह और वृषभ प्रतीकात्मक रूप से भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। सिंह जहां समृद्धि का प्रतीक है, वहीं वृषभ यौवन का प्रतीक है।
- हिंदू धर्म के ज्योतिष शास्त्र में भी सिंह और वृषभ को महत्ता प्रदान की गई है, इसी कारण इनके नाम के आधार पर सिंह और वृषभ राशि है।

भारतीय कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ

- सिंधु घाटी सभ्यता काल में वृषभ का चित्रण विभिन्न स्थानों से मिला है। हड़प्पा से शंख का बना वृषभ, मोहनजोदड़ो से तांबे का कूबड़ युक्त वृषभ, सुरकोटडा से पहिये युक्त वृषभ की मूर्ति प्राप्त हुई है। तत्कालीन समय में प्राप्त वृषभ की मूर्तियां वृषभ के महत्व को प्रदर्शित करती हैं।
- मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म और अपने विचारों के प्रचार के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में स्तंभ स्थापित करवाये। इन स्तंभों पर वृषभ एवं सिंह की आकृति उत्कीर्ण है।
- सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष पर चार सिंह मूर्तियां हैं, जो पृष्ठतः एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसके नीचे अन्य पशुओं के साथ वृषभ एवं सिंह की प्रतिकृतियां उभरी हुई हैं यह अशोक स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है। सारनाथ का अशोक स्तंभ का शीर्ष वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय चिह्न है।
- बिहार के रामपुरवा स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष पर वृषभ की आकृति बनी हुई है।

CHAPTER
3

प्रश्न–पत्र I

भारतीय समाज

प्रश्न: क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और/या हाशिये पर ले जाता है?
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तर: 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 31.2% थी और वर्ष 2030 तक इसके लगभग 40% तक होने का अनुमान है। भारतीय महानगर एक तरफ जहां बेहतर आर्थिक अवसर, बुनियादी ढांचे और सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, शहरीकरण का गरीबों सहित आबादी के विभिन्न वर्गों पर जटिल और विविध प्रभाव देखने को मिलता हैं।

- **तीव्र विकास और बुनियादी ढाँचे में असमानताएं:** अधिकांश भारतीय शहरों में शहरीकरण की गति असमान रही है, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे के विकास में भी असमानताएं उत्पन्न हुई हैं। गरीब लोग अक्सर अनौपचारिक बस्तियों या मलिन बस्तियों में रहते हैं जहां स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सीमित होती है।
- **आर्थिक असमानताएं:** शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध आर्थिक अवसरों के लाभ सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। गरीबों को औपचारिक रोजगार तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे अनौपचारिक और कम वेतन वाली नौकरियां करने को विवश होते हैं। यह आर्थिक असमानता सामाजिक अलगाव में और भी अधिक योगदान देती है।
- **जेंट्रीफिकेशन:** जेंट्रीफिकेशन का अर्थ शहरी विकास की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसी महानगर का एक क्षेत्र तेजी से विकसित होता है। जेंट्रीफिकेशन गरीबों एवं कम आय वाले समुदायों के विस्थापन का कारण बन सकता है। किराए एवं संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने से उन्हें कम संसाधनों वाले परिधीय क्षेत्रों की तरफ विस्थापित होना पड़ सकता है।
- **सीमित सामाजिक एकीकरण:** शहरी क्षेत्रों में जाति एवं धर्म के आधार पर कुछ समूहों को भेदभाव अथवा बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका सामाजिक एकीकरण तथा सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच सीमित हो सकती है।
- **अपर्याप्त सामाजिक सेवाएं:** शहरीकरण की प्रक्रिया के साथ सार्वजनिक सेवाओं की मांग में भी वृद्धि होती है। जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं में वृद्धि न होने का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ता है।
- **नीतिगत चुनौतियां:** अपर्याप्त शहरी नियोजन, किफायती आवासीय सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की सीमितता के कारण गरीबों के सामने आने वाली चुनौतियों में वृद्धि होती है।

इस प्रकार, शहरीकरण की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ अलगाव एवं पृथक्करण के लिए भी उत्तरदायी हो सकती है। हालांकि, अलगाव एवं पृथक्करण का स्तर विभिन्न शहरों और क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकता है। समावेशी शहरी नियोजन, सामाजिक नीतियों और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।

प्रश्न: भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है?
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तर: वर्तमान समय में, भारत की जातीय अस्मिता अपनी मजबूत ऐतिहासिक जड़ों और आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों के कारण स्थिर और गतिशील दोनों पहलुओं को प्रदर्शित करती है।

जातीय अस्मिता में गतिशीलता हेतु उत्तरदायी कारक

- **शहरीकरण और शिक्षा:** शहरी जीवनशैली और आधुनिक शिक्षा के प्रसार के कारण पारंपरिक जातिगत बाधाओं को कम करने में मदद मिली है तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच मेलजोल बढ़ा है। उदाहरण- एआईएसएचई सर्वेक्षण के अनुसार, उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन 2014-15 के 46.06 लाख से बढ़कर 2020-21 में 58.95 लाख हो गया है।
- **अंतरजातीय विवाह:** अंतरजातीय विवाह की परिणामी संतान माता-पिता में से किसी की भी जाति का दृढ़तापूर्वक समर्थन नहीं कर पाती है। इस प्रकार, अधिक समावेशी पहचान को बढ़ावा मिलता है। भारत मानव विकास सर्वेक्षण के अनुसार, 1970 से 2012 के बीच अंतरजातीय विवाह 5% से बढ़कर 6% हो गए हैं।
- **सामाजिक आंदोलन:** विभिन्न सामाजिक आंदोलनों से जाति-आधारित भेदभाव को चुनौती दी जा रही है तथा इससे सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिला है। सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों को अपनी पारंपरिक जातिगत पहचान से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

जातीय अस्मिता में स्थिरता हेतु उत्तरदायी कारक

- **ऐतिहासिक जड़ें:** सदियों के सामाजिक स्तरीकरण ने भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने में जातिगत पहचान को समाहित कर दिया है।
- **जातीय अंतर्विवाह और विवाह प्रथाएं:** जातीय अंतर्विवाह, जहां व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, एक दीर्घकालिक प्रथा के रूप में स्थापित हो चुकी है।
  - विवाह के समय विभिन्न जातियों में अलग-अलग अनुष्ठान एवं रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है। जातीय अंतर्विवाह जाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण को बनाए रखने में सहायक हैं।
  - आईएचडीएस के आंकड़ों के अनुसार केवल 5% से कुछ अधिक शहरी भारतीय लोग अपनी जाति के बाहर विवाह करते हैं।
- **राजनीतिक ध्रुवीकरण:** समय के साथ राजनीतिक समर्थन हेतु जातीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिला है। वोट की राजनीति हेतु जातिगत भावनाओं की अपील से जाति-आधारित राजनीति कायम हुई है।
  - आरक्षण नीतियां और अन्य सकारात्मक कार्रवाई उपाय जातिगत पहचान को मजबूत करते हैं। उदाहरण- हरियाणा में जाट और गुजरात में पाटीदार जातियों द्वारा जाति-आधारित आरक्षण की मांग की जा रही है।

प्रश्न-पत्र I

भूगोल

प्रश्नः उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य-सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तरः विश्व बैंक के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों के उत्पादन में कमी तथा परिणामी भुखमरी से लगभग 80% वैश्विक जनसंख्या सर्वाधिक जोखिम में है। सीमित संसाधनों, निम्न स्तरीय बुनियादी ढांचे तथा कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण इसके सबसे अधिक प्रभाव उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में संभावित हैं।

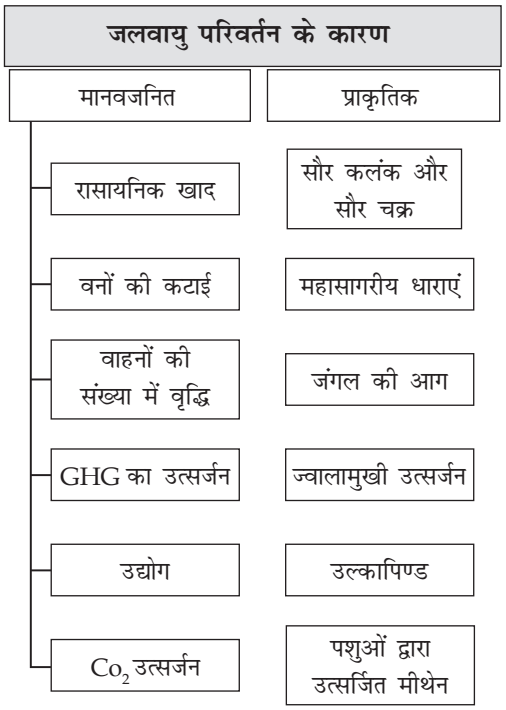

उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणाम

- **फसल उत्पादन में कमीः** तापमान में वृद्धि तथा वर्षा के प्रतिरूप में बदलाव से चावल, गेहूं एवं मक्का जैसी प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
- **फसलों के पोषण मूल्य में कमीः** जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य प्रभाव फसलों की संरचना में परिवर्तन भी है। उदाहरण-CO2 के उच्च स्तर से अनाज में प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कम हो सकती है।
- **कीट एवं रोग प्रतिरूप में बदलावः** जलवायु परिवर्तन से फसलों को प्रभावित करने वाले कीटों और रोगों के प्रसार में वृद्धि हो सकती है।
- **जल की कमीः** वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले संभावित जल-तनाव से फसल की पैदावार में कमी आएगी तथा खाद्य-असुरक्षा में वृद्धि होगी।
- **जैव-विविधता की हानिः** जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक-तंत्र को बाधित कर सकता है। इससे कृषि फसलों में परागणकों और आनुवंशिक विविधता की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
- **खाद्य पदार्थों कीमतों में वृद्धिः** कृषि उत्पादन में कमी तथा उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण खाद्यान्न पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
- **आजीविका में कमीः** उष्णकटिबंधीय देशों में लघु एवं सीमांत कृषक कृषि कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से इनकी आजीविका खतरे में पड़ सकती है।
- **मत्स्य पालन पर प्रभावः** महासागर के अम्लीकरण, समुद्री तापमान में वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन में कमी आ सकती है, और मत्स्य आधारित गतिविधियों पर निर्भर रहने वाले समुदायों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
- इन परिणामों को संबोधित करने के क्रम में उष्णकटिबंधीय देशों द्वारा जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियों, बेहतर जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण और बुनियादी ढांचे में निवेश सहित विभिन्न रणनीतियों को लागू किया जा सकता है।

प्रश्नः आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है? (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तरः वर्तमान में, लगभग 3.6 बिलियन लोगों को प्रति वर्ष कम से कम एक महीने स्वच्छ जल की अपर्याप्त पहुंच का सामना करना पड़ रहा है और 2050 तक इसके बढ़कर 5 बिलियन से अधिक होने की संभावना है। हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP27) में सरकारों से अपने अनुकूलन प्रयासों में जल उपलब्धता को और अधिक एकीकृत करने का आग्रह किया गया है।

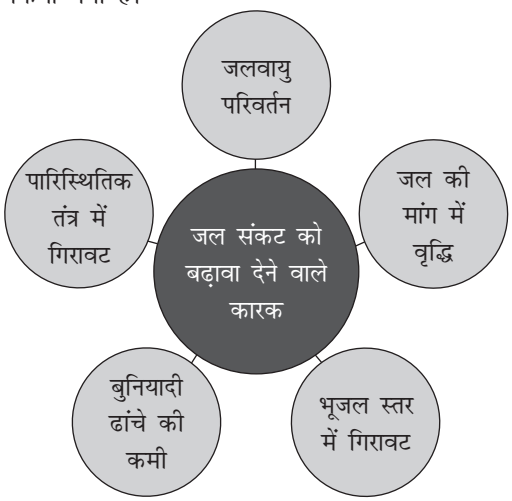

वैश्विक जल संकट को बढ़ावा देने में निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं:

- **जलवायु परिवर्तनः** जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा एवं तापमान के प्रतिरूप में परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तनशीलता से जल संसाधनों का उचित मूल्यांकन एवं प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो गया है।

CHAPTER 1

प्रश्न-पत्र II

भारतीय राजव्यवस्था

प्रश्नः "भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।" टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तरः भारत में 'शहरी स्थानीय निकाय' जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करने का आधार हैं। ये निकाय स्थानीय स्तर पर जनता को चुनाव एवं राजनीतिक के प्रति जागरूक बनाकर लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर 'शहरी स्थानीय निकाय' सरकारों की उत्तरदायी भूमिका सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

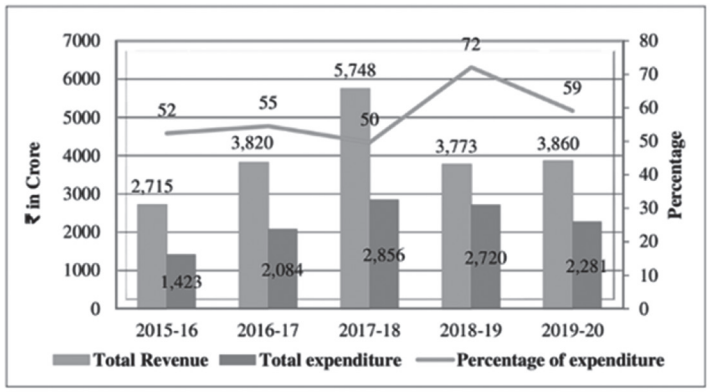

शहरी स्थानीय निकायों के कार्यात्मक एवं वित्तीय सशक्तिकरण के प्रति राज्यों की अनिच्छा

- **शक्ति केंद्रीकरणः** राज्य केंद्रीकरण की विरासत को बनाए रखने को प्राथमिकता देते हैं। अतः वे शहरी स्थानीय निकायों को शक्ति हस्तांतरित करने में अनिच्छुक रहे हैं।
- **राजनीतिक नियंत्रणः** स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने से शहरी क्षेत्रों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण कम हो सकता है।
- **राज्य वित्त आयोगों की कमियांः** राज्य वित्त आयोगों की अकुशल कार्यप्रणाली से शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई है।
- **अपेक्षित बुनियादी ढाँचे एवं विशिष्ट मानव संसाधनों का अभावः** शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के विरुद्ध राज्य सरकारों द्वारा अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि इन निकायों के पास आवश्यक बुनियादी ढांचे एवं तकनीकी क्षमता का अभाव है।

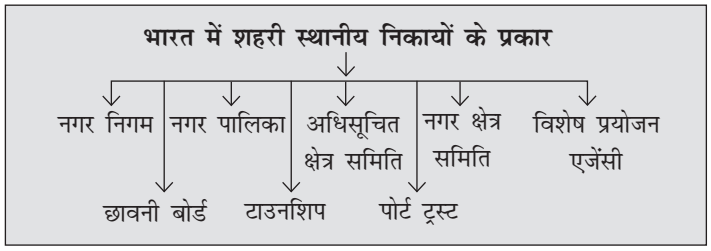

  - ऐसी स्थिति में शहरी स्थानीय निकायों को अधिक स्वतंत्र बनाए जाने से नीतिगत शिथिलता उत्पन्न हो सकती है।
- **संसाधनों की कमीः** कुछ राज्यों का यह तर्क है कि उनके पास शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित करने के लिए संसाधनों की कमी है। स्वयं राज्य सरकारें विभिन्न राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों के लिए निधि आवंटन हेतु शहरी क्षेत्र से प्राप्त राजस्व पर अत्यधिक निर्भर हैं।
- **भ्रष्टाचारः** राज्य सरकारों की एक चिंता यह भी है कि स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने से स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार एवं कुशासन में वृद्धि हो सकती है।

21वीं सदी की बहुमुखी शहरी चुनौतियों के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि शहरी स्थानीय निकायों को संविधान में परिकल्पित कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।

प्रश्नः "संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।" टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तरः भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित करने वाला तथा संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है।

भारतीय संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे- न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, उच्चतम न्यायालय के सभी खर्चों का भार भारत की संचित निधि पर, विधायिका में न्यायाधीशों के आचरण के संदर्भ में चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, न्यायिक अवमानना के लिए दंडित करने की न्यायपालिका की शक्ति तथा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण इत्यादि।

संवैधानिक रूप से गारंटीकृत न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की पूर्व शर्त क्यों है?

- **विधि का शासनः** न्यायिक स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक अथवा किसी अन्य दबावों पर ध्यान दिए बिना कानूनों की सतत एवं निष्पक्ष रूप से व्याख्या की जाती है और उनका कार्यान्वयन किया जाता है।
- **नियंत्रण और संतुलनः** एक सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सरकार की तीनों शाखाएं (कार्यकारी, विधायी और न्यायिक) एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।
- **अधिकारों की सुरक्षाः** एक स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिक अधिकारों के उल्लंघन पर सरकार को उत्तरदायी ठहरा सकती है तथा नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है।
- **अधिनायकवाद को रोकनाः** जिन देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव है वहां सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का खतरा बना रहता है। स्वतंत्र न्यायपालिका ऐसे दुर्व्यवहारों के विरुद्ध एक ढाल के रूप में कार्य करती है।

CHAPTER 2

प्रश्न-पत्र II

सामाजिक न्याय

प्रश्न: निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) की भूमिका का आकलन कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तर: समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों के संचालन हेतु कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन किया गया है।

निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए पात्रता

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत निम्नलिखित रूप में पात्र व्यक्तियों की पहचान की गई:

- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य;
- मानव तस्करी या बेगार के शिकार व्यक्ति;
- महिलाएं एवं बच्चे;
- मानसिक रूप से बीमार एवं विकलांग व्यक्ति;
- अवांछित अभाव की परिस्थितियों, जैसे- प्राकृतिक/मानवीय आपदा, जातीय हिंसा एवं अत्याचार के शिकार व्यक्ति;
- औद्योगिक कामगार;
- हिरासत वाले व्यक्ति, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा 2 के खंड (जी) के तहत सुरक्षात्मक आवास में हिरासत;
  - किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के तहत किसी किशोर गृह में हिरासत में रखे गए किशोर; तथा
  - मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के तहत किसी मनोरोग अस्पताल या नर्सिंग होम में रखे गए व्यक्ति।
- अनुसूची में उल्लिखित अथवा राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति मुफ्त कानूनी सेवाओं के लिए पात्र हैं। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों के लिए आय की सीमा 5 लाख रुपये से कम रखी गई है।

निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में NALSA की भूमिका

- **कानूनी सहायता केंद्र:** NALSA द्वारा पात्र लोगों तक कानूनी सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिला एवं तालुका के साथ विभिन्न स्तरों पर कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना की गई है।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** NALSA कानूनी सहायता सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कानूनी पेशेवरों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
- **जनहित याचिका (PIL):** NALSA समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा में सहायक रहा है।
- **कानूनी जागरूकता अभियान:** इसके द्वारा लोगों को उनके अधिकारों के संदर्भ में शिक्षित करने के लिए कानूनी जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं।

इस प्रकार, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करके तथा कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देकर NALSA समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

प्रश्न: मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सकें।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तर: भारत की जनसंख्या में लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है, जो कि देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। किंतु दूसरी तरफ, भारत को इष्टतम मानव संसाधन विकास सुनिश्चित करने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

भारत में मानव संसाधन विकास पर अपर्याप्त ध्यान

- **अपर्याप्त शैक्षिक बुनियादी ढाँचा:** यूनिसेफ के अनुसार, भारत में 6-14 वर्ष की आयु के 6 मिलियन से अधिक बच्चे औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:** एएसईआर रिपोर्ट-2023 के अनुसार, लगभग 25 प्रतिशत लोग ग्रेड 2 का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं तथा 50 प्रतिशत से अधिक को ग्रेड 5 तक के अपेक्षित अंकगणित कौशल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **लैंगिक असमानताएँ:** ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट-2023 के अनुसार, लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है।
- **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी चिंताएं:** 2019-2020 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अवरुद्ध विकास की व्यापकता अभी भी बनी हुई है, देश के लगभग 38.4 प्रतिशत बच्चे अविकसित हैं।

मानव संसाधन विकास की प्रगति हेतु सुझाव

- **शिक्षा प्रणाली में सुधार:** नई शिक्षा नीति-2020 में की गई परिकल्पना के अनुसार प्राथमिक स्तर से ही कौशल-आधारित शिक्षा, आलोचनात्मक सोच के विकास, समस्या-समाधान और रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
- **कौशल विकास कार्यक्रम:** उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) आदि योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण है।
- **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण:** युवाओं को तकनीकी प्रगति तथा बाजार की बदलती मांगों के अनुकूल निरंतर सीखने एवं कौशल वृद्धि हेतु अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

विकास की गति को निरंतर बनाए रखने तथा टिकाऊ आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए देश में मानव संसाधन विकास पर व्यापक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

CHAPTER 1

प्रश्न-पत्र III

भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रश्न: जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तर: एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, इनका देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 30 प्रतिशत एवं विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45% योगदान है।

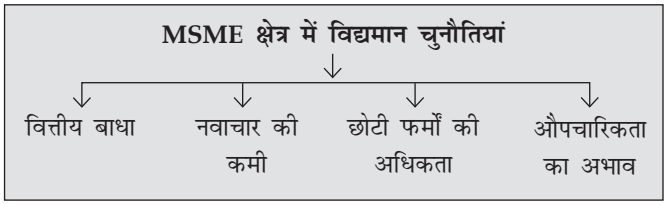

MSME क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियां

↓

- वित्तीय बाधा
- नवाचार की कमी
- छोटी फर्मों की अधिकता
- औपचारिकता का अभाव

तेज आर्थिक विकास, विनिर्माण और एमएसएमई के बीच संबंध

- भारत में तेज आर्थिक विकास, विनिर्माण और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के मध्य जटिल एवं परस्पर घनिष्ठ संबंध देखे जा सकते हैं।
- **आर्थिक विकास में योगदान:** एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ निवेश आकर्षित करने में सक्षम होता है।
- **रोजगार सृजन:** एमएसएमई अपनी श्रम-गहन प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। वे कुशल और अकुशल सभी प्रकार के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, इससे अर्थव्यवस्था के समग्र रोजगार स्तर में वृद्धि होती है।
- **नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** एक प्रगतिशील विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा अनुसंधान एवं विकास की अधिक संभावनाएं होती हैं।
- **निर्यात प्रोत्साहन:** देश में विनिर्माण क्षेत्र के आधार को मजबूत करके निर्यात में वृद्धि की जा सकती है, इससे व्यापार संतुलन को बढ़ावा मिलेगा।

एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियां

- **मेक इन इंडिया पहल:** इस पहल को वर्ष 2014 में निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए आरंभ किया गया था।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति:** इसे वर्ष 2022 में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करते हुए, इसे अन्य विकसित देशों के बराबर ले जाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की घोषणा की गई है।
- **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी):** यह सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पोर्टलों को एकीकृत करते हुए निर्मित एक जीआईएस आधारित मंच है, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था।
- **उद्यमी भारत योजना:** यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के सशक्तीकरण की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है।

इस प्रकार सरकार टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए विनिर्माण एवं एमएसएमई दोनों के विकास हेतु प्रयासरत है।

प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है? इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तर: भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और नागरिकों के बीच इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि हेतु वर्ष 2015 में 'डिजिटल इंडिया' पहल शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की स्पीड में सुधार करके देश को डिजिटल रूप से और अधिक उन्नत बनाना था।

भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति

- लोकप्रिय UPI-आधारित BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी) ऐप सुरक्षित एवं सुविधाजनक पीयर-टू-पीयर लेनदेन को सक्षम बनाता है।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से ई-गवर्नेंस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ई-वीजा और डिजिटल लॉकर प्रणाली जैसी पहलों के माध्यम से सरकारी सेवाएं सुव्यवस्थित हुई हैं।
- भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2026 तक 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। विशेषकर, कॉविड-19 महामारी के बाद से ऑनलाइन शॉपिंग में वृद्धि देखने को मिली है।
- डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार से बैंक खाता रहित लोगों तक बैंकिंग तथा बीमा सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है।
- देश में, ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। वर्ष 2021 में लगभग 765 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड ग्राहक हो गए।

अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मार्ग में चुनौतियां

- **डिजिटल विभाजन:** ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बीच डिजिटल बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की पहुंच में एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र आवश्यक कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढांचा सुविधाओं से अभावग्रस्त हैं।
- **साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** बढ़ते डिजिटल लेनदेन एवं डेटा साझाकरण के साथ, साइबर खतरों, धोखाधड़ी और डेटा उल्लंघनों का खतरा बढ़ रहा है।
- **डिजिटल साक्षरता का अभाव:** तकनीकी साक्षरता के अभाव में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग डिजिटल प्रौद्योगिकियों तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

CHAPTER 2

प्रश्न-पत्र III

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रश्नः कृत्रिम बुद्धि (एआई) की अवधारणा का परिचय दीजिए। एआई क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है? क्या आप स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं? (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तरः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक मशीन की उन संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता है, जिन्हें मानव मस्तिष्क करने में सक्षम है। इन संज्ञानात्मक कार्यों में विचार करना, तर्क करना, सीखना, पर्यावरण के साथ अंत:क्रिया करना, समस्या को हल करना और यहां तक कि रचनात्मकता का अभ्यास करना शामिल हैं। उदाहरण- सिरी और एलेक्सा जैसे वॉयस असिस्टेंट एआई तकनीक पर आधारित हैं।

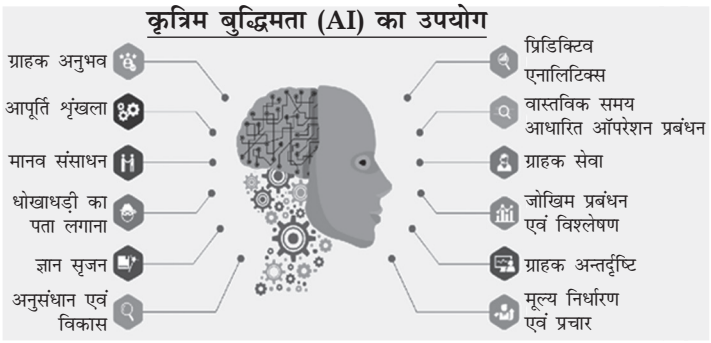

स्वास्थ्य सेवा एवं डायग्नोस्टिक्स में एआई की भूमिका

- एआई विभिन्न रूपों में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सहायता करके नैदानिक जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **मेडिकल इमेजिंग विश्लेषण**
  - **छवि पहचानः** एआई शारीरिक असामान्यताओं का पता लगाने के साथ ट्यूमर, फ्रैक्चर या अन्य विसंगतियों के निदान में सहायता हेतु एक्स-रे, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी चिकित्सा छवियों का विश्लेषण करने में सक्षम है।
- **पैथोलॉजी और हिस्टोलॉजी**
  - **पैथोलॉजीः** एआई डिजिटल पैथोलॉजी स्लाइड्स का विश्लेषण करने में पैथोलॉजिस्टों की सहायता करता है।
  - **ट्यूमर का पता लगानाः** एआई एल्गोरिदम ऊतक के नमूनों का विश्लेषण करके, निदान की गति एवं सटीकता में सुधार करके ट्यूमर का शीघ्र पता लगाने में सहायता कर सकता है।
- **जीनोमिक विश्लेषण**
  - **रोग जोखिम भविष्यवाणीः** एआई कुछ बीमारियों से जुड़े संभावित आनुवंशिक कारकों की पहचान करने के लिए जीनोमिक डेटा का विश्लेषण कर सकता है, जिससे व्यक्तिगत चिकित्सा तथा जोखिम भविष्यवाणी संभव हो सकती है।
- **नैदानिक निर्णय समर्थन**
  - **डेटा एकीकरणः** एआई उपकरण 'इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड' (ईएचआर) से रोगी व्यक्तियों के डेटा को एकीकृत एवं विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- **रिमोट मॉनिटरिंग**
  - **सतत निगरानीः** एआई-सक्षम उपकरण दूर से मरीजों की निगरानी करके स्वास्थ्य संकेतों के बारे में डेटा एकत्र कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य स्थिति में परिवर्तनों का शीघ्र पता लगाने तथा समय पर हस्तक्षेप करने में मदद मिलती है।
- **टेलीमेडिसिन और आभासी स्वास्थ्य सहायक**
  - **लक्षण परीक्षणः** एआई-संचालित आभासी स्वास्थ्य सहायक (AI-driven Virtual Health Assistants) रोगी के लक्षणों का परीक्षण करने, प्रारंभिक मार्गदर्शन प्रदान करने तथा रोगियों को उनकी आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सहायता दिलाने में मदद कर सकते हैं।

स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग से व्यक्तिगत गोपनीयता को खतरा

- **डेटा सुरक्षा और उल्लंघनः** स्वास्थ्य देखभाल में एआई का अनुप्रयोग रोगी द्वारा प्राप्त आंकड़ों पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य आंकड़ों के भंडारण एवं प्रसारण में सुरक्षा चुनौतियां व्याप्त हैं। उदाहरण- भारत में 'आरोग्य सेतु ऐप' के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा के दुरुपयोग की संभावना के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं।
- **अपर्याप्त डेटा सुरक्षाः** डेटा का दुरुपयोग करके विशिष्ट व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी हानि पहुंचाई जा सकती है। उदाहरण- भारत में COVID-19 ट्रैकिंग ऐप्स से डेटा लीक की जानकारी प्राप्त हुई थी।
- **नियामक चुनौतियांः** असंगत अथवा अपर्याप्त नियम डेटा को पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने में विफल हो सकते हैं तथा व्यक्तियों को संभावित दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं।

एआई के स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग है तथा इसमें स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाने की अपार क्षमता है। किंतु, किसी भी अन्य शक्तिशाली तकनीक की भांति एआई की अनुप्रयोग में भी व्यापक चुनौतियां मौजूद हैं। इसलिए, एआई के लाभों के समान वितरण हेतु डेटा की गोपनीयता तथा अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

प्रश्नः उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे सूक्ष्मजीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तरः क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौते में गैसोलीन, डीजल और जेट ईंधन के स्थान पर स्वच्छ, हरित और नवीकरणीय परिवहन ईंधन के उपयोग का आह्वान किया गया है। जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन का एक आशाजनक विकल्प है, इसका उत्पादन सूक्ष्मजीवों द्वारा जैविक सामग्रियों से किया जाता है। सूक्ष्मजीवों में बैक्टीरिया, वायरस, कवक और शैवाल शामिल हैं।

CHAPTER
4

प्रश्न-पत्र III

सुरक्षा

प्रश्न: आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में 'दिल और दिमाग' जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तर: आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर जम्मू एवं कश्मीर जैसे क्षेत्रों में 'दिल और दिमाग' जीतने का मुद्दा स्थानीय आबादी के बीच विश्वास और स्थिरता बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में संघर्ष समाधान के प्रयासों के हिस्से के रूप में विभिन्न उपाय लागू किए गए हैं।

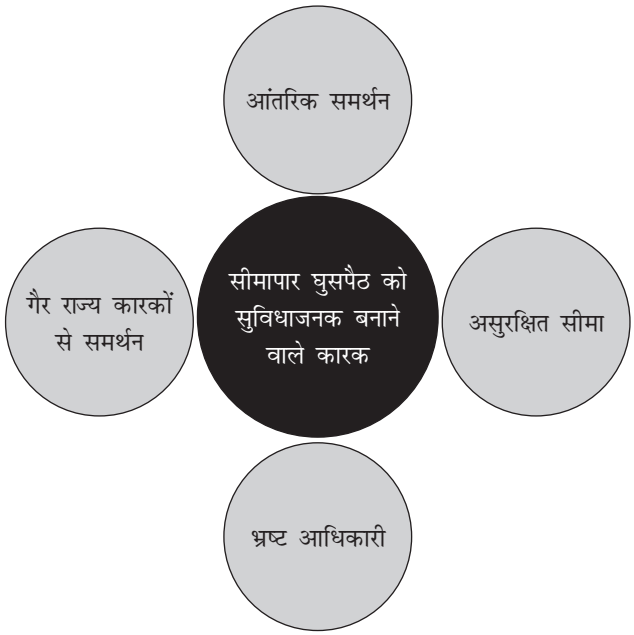

सरकार द्वारा लागू किए गए उपाय

- **अनौपचारिक कूटनीतिक प्रयास:** भारत सरकार सतत रूप से स्थानीय निवासियों के मध्य बातचीत एवं संचार को विकसित करने के लिए स्थानीय नेताओं, हितधारकों तथा यहां तक कि अलगाववादी तत्वों के साथ अनौपचारिक चर्चा में संलग्न है।
- **विकासात्मक पहल:** केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को शुरू करके जम्मू-कश्मीर के विकास को प्राथमिकता दी गई है।
  - **उदाहरण**- क्षेत्र के व्यापक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण परिव्यय के साथ 'प्रधानमंत्री विकास पैकेज' (पीएमडीपी) का अनावरण किया गया था।
- **युवाओं से जुड़ना:** युवाओं की क्षमता को पहचानते हुए सरकार ने इन्हें कौशल प्रशिक्षण एवं नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए 'हिमायत' और 'उड़ान' जैसी योजनाएं आरंभ की हैं।
- **रचनात्मक कार्य:** रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सरकार संस्कृति के अंतर को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए, खेल टूर्नामेंट तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- **उग्रवादियों का पुनर्वास:** उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास के कार्यक्रमों को पूर्व उग्रवादियों को समाज में वापस एकीकृत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि वे सामान्य, उत्पादक जीवन जी सकें।
- **सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा:** जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन, फिल्म शूटिंग तथा पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान को आसान बनाया जा रहा है।
- **शिक्षा को मजबूत करना:** जम्मू कश्मीर में शिक्षा में सुधार हेतु नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के साथ भारत के अन्य हिस्सों में जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा विनिमय कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस प्रकार, 'दिल और दिमाग' जीतने की रणनीति के आधार पर जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में शांति, विकास और सुलह के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। इससे आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया जा सकते हैं।

प्रश्न: सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार, गोला-बारूद, ड्रग्स आदि मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) की मदद से पहुंचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तर: सीमाओं के पार से हथियारों, गोला-बारूद, ड्रग्स और अन्य अवैध सामानों के परिवहन के लिए विरोधियों द्वारा मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) का उपयोग आंतरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। ड्रोन तथा यूएवी ऐसे साधनों के रूप में उभरे हैं, जिनकी मदद से किसी भी देश में गुप्त रूप में तस्करी तथा अन्य अवैध गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है।

इस खतरे से निपटने के लिए किये जा रहे उपाय

- **एंटी-ड्रोन तकनीक:** रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) ने दुश्मनों के ड्रोन हमले को बेअसर करने के लिए 'एंटी-ड्रोन सिस्टम' विकसित किया है। स्वदेशी ड्रोन तकनीक की सहायता से दुश्मनों के ड्रोन का पता लगाने, ड्रोन के संचार लिंक में बाधा उत्पन्न करने तथा जवाबी हमले करने में मदद मिल सकती है।
- **ड्रोन नियम 2021:** इसमें प्रावधान है कि, कोई भी व्यक्ति मानवरहित विमान प्रणाली को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किए बिना तथा एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त किए बिना संचालित नहीं कर सकता है। कुछ विशिष्ट मामलों में पहचान संख्या प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की जा सकती है।

प्रश्न–पत्र IV

CHAPTER 1

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि

प्रश्न: नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में जब कानून, नियमों और अधिनियमों की तुलना की जाती है तो क्या अंतरात्मा की आवाज अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? चर्चा कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तर: नैतिक निर्णय किसी भी कार्य के 'सही' अथवा 'गलत' होने के संज्ञानात्मक विश्लेषण पर आधारित होते हैं। कानून तथा नियम आमतौर पर समाज के सामूहिक विवेक पर आधारित होते हैं, वे एक बाह्य नैतिक आधार हैं। दूसरी तरफ, 'अंतरात्मा की आवाज' को व्यक्तिगत आंतरिक नैतिक आधार माना जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति सभी परिस्थितियों में न्याय करता है।

सहज एवं त्वरित होने के कारण किसी भी व्यक्ति के लिए नैतिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति का जन्म सर्वप्रथम अंतरात्मा से आरंभ होता है। इसे ही, परिस्थितियों के अनुसार कानून, नियमों एवं विनियमों के माध्यम से परिष्कृत किया जाता है। हालांकि दोनों के अपने गुण एवं अवगुण हैं:

- **वस्तुनिष्ठता:** अंतरात्मा पर व्यक्तिगत विश्वासों, भावनाओं एवं पूर्वाग्रहों का स्पष्ट प्रभाव होता है; यही कारण है कि अंतरात्मा के आधार पर लिए जाने वाले निर्णय अनेक बार असंगत सिद्ध होते हैं। वहीं दूसरी तरफ, कानून एवं नियमों के आधार पर सही प्रतीत होने वाले निर्णय कुछ मामलों में अंतरात्मा के आधार पर गलत हो सकते हैं। उदाहरण- कानूनी आधार पर गर्भपात कुछ मामलों में वैध है। हालांकि, व्यक्तिगत अंतरात्मा इसकी अनुमति नहीं देती है।
  - इसी प्रकार, कुछ निर्णय कानूनी आधार पर गलत प्रतीत हो सकते हैं किंतु अंतरात्मा के आधार पर वे नैतिक दिखाई देते हैं। उदाहरण- बच्चों को खिलाने के लिए खाने की चोरी करना।
- **जवाबदेही:** जब व्यक्ति अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेता है, तो उसमें जिम्मेदारी एवं स्वामित्व की भावना विकसित होती है। उदाहरण- भ्रष्टाचार के मामलों में मुखबिरी करना। दूसरी तरफ, कानूनी एवं नियम आधारित निर्णयों में सामूहिक जवाबदेही होती है।
- **स्पष्टता:** अस्पष्ट स्थितियों में अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेने से परिणामों का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ, कानून एवं नियम आधारित निर्णय लेने से ऐसी परिस्थितियों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जा सकते हैं। उदाहरण- विशिष्ट स्वास्थ्य परिस्थितियों में गर्भावस्था के दौरान मां एवं बच्चे के बीच जीवन बचाने का विकल्प।
- **अनुकूलनशीलता बनाम परिवर्तनशीलता:** अंतरात्मा के विकास पर धर्म एवं संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव होता है, इसीलिए इसके आधार पर निर्णय लेने से जटिल नैतिक दुविधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरी तरफ, कानून एवं नियमों का निर्माण संविधान की व्यापक पृष्ठभूमि में किया जाता है तथा उनमें कम लचीलापन देखने को मिलता है।

संक्षेप में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतरात्मा तथा कानून नियम एवं विनियम एक दूसरे के पूरक हैं। निर्णयों को नैतिक आधार प्रदान करने तथा उन्हें अधिक प्रभावी एवं विवेकशील बनाने के लिए निर्णय प्रक्रिया में इनके मध्य उचित संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

प्रश्न: 'नैतिक अंतर्ज्ञान' से 'नैतिक तर्कशक्ति' का अंतर स्पष्ट करते हुए उचित उदाहरण दीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

उत्तर: किसी कार्य के 'सही' या 'गलत' होने के सहज निर्णय को 'नैतिक अंतर्ज्ञान' (Moral Intuition) के रूप में परिभाषित किया जाता है। 'नैतिक अंतर्ज्ञान' प्रकृति में आवेगी होता है तथा इसका विकास व्यक्ति की भावना, संस्कृति एवं अनुभवों से होता है। दूसरी तरफ, जब किसी कार्य को 'तर्क' एवं 'विचारों' के आधार पर 'सही' अथवा 'गलत' के रूप में मूल्यांकित किया जाता है तो उसे 'नैतिक तर्कशक्ति' (Moral Reasoning) कहते हैं। 'नैतिक तर्कशक्ति' प्रकृति में अधिक संज्ञानात्मक होती है तथा इसका विकास नैतिक सिद्धांतों की श्रेष्ठता से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर होता है।

'नैतिक अंतर्ज्ञान' और 'नैतिक तर्कशक्ति' दोनों नैतिक निर्णयों में एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। पर्यायवाची प्रतीत होने के बावजूद इनके 'साधन' और 'दृष्टिकोण' में निम्नलिखित रूप में भिन्नता देखने को मिलती है।

- **वस्तुनिष्ठता:** 'नैतिक अंतर्ज्ञान' अवचेतन भावनाओं और संस्कृति पर आधारित होती है। इसीलिए, इसका विकास अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग रूप में हो सकता है। दूसरी तरफ, 'नैतिक तर्कशक्ति' तर्कसंगतता और विचार पर आधारित होती है, इसलिए यह प्रकृति में अधिक उद्देश्यपूर्ण होती है। उदाहरण- 'नैतिक अंतर्ज्ञान' के आधार पर किशोर उम्र में गर्भावस्था धारण करने वाली लड़कियों का गर्भपात गलत प्रतीत होता है; हालांकि 'नैतिक तर्कशक्ति' परिस्थितियों एवं तर्कसंगतता के आधार पर आत्मनिरीक्षण करके निर्णय लेने की अनुमति देती है।
- **प्रक्रिया:** 'नैतिक अंतर्ज्ञान' तत्काल भावनाओं एवं व्यक्ति की प्रवृत्ति पर निर्भर होती है। दूसरी तरफ, 'नैतिक तर्कशक्ति' में एक व्यवस्थित विचार प्रक्रिया शामिल है, जिसमें नैतिक सिद्धांत एवं तार्किक विश्लेषण शामिल होते हैं। उदाहरण- संकट की स्थिति में कोई व्यक्ति नैतिक निहितार्थों पर बिना अधिक सोच-विचार किए सहज रूप से जरूरतमंद लोगों की मदद करता है।
- **सचेत जागरूकता:** 'नैतिक अंतर्ज्ञान' का विकास अवचेतन स्तर पर होता है। यही कारण है कि व्यक्तियों को अपने नैतिक निर्णयों के पीछे के तर्क की समग्र जानकारी नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ, 'नैतिक तर्कशक्ति' एक सचेत रूप में ली जाने वाली निर्णय प्रक्रिया को संबोधित करती है।
- **निर्णय लेने की गति:** तात्कालिक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं शामिल होने के कारण 'नैतिक अंतर्ज्ञान' शीघ्र निर्णय लेने को प्रेरित करता है। दूसरी तरफ, विश्लेषणात्मक प्रकृति की होने के कारण 'नैतिक तर्कशक्ति' के आधार पर लिए जाने वाले निर्णयों में देरी होती है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में 'नैतिक अंतर्ज्ञान' तथा 'नैतिक तर्कशक्ति' दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति को प्रभावी निर्णय लेने के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों के संयोजन का उपयोग करना चाहिए।

CHAPTER
2

प्रश्न-पत्र IV

केस स्टडी

प्रश्न: कई सालों से आप एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यपालक के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक दिन आपकी एक नजदीकी सहकर्मी ने आपको बताया कि उसके पिताजी दिल की बीमारी से पीड़ित है और उन्हें बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। उसने आपको यह भी बताया कि उसके पास कोई बीमा नहीं है और ऑपरेशन की लागत लगभग 10 लाख रुपए होगी। आप यह भी जानते हैं कि उसके पति नहीं रहे और वह निम्न-मध्यम वर्ग परिवार से है। आप उसके हालात से समानुभूति रखते हैं। हालांकि, समानुभूति के अलावा आपके पास रकम देने के लिए संसाधन नहीं है।

कुछ सप्ताह बाद, आप उसके पिताजी की कुशलता के बारे में पूछते हैं और वह आपको उनके ऑपरेशन की सफलता के बारे में सूचित करती है कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। फिर उसने आपको गुप्त रूप से बताया कि बैंक मैनेजर इतने दयालु थे कि उन्होंने 10 लाख रुपए किसी के निष्क्रिय खाते से ऑपरेशन के लिए जारी कर दिए, इस वायदे के साथ की यह गोपनीय होना चाहिए और जल्द से जल्द चुकाया जाए। उसने पहले ही रकम चुकाना शुरू कर दिया है और जब तक पूरी रकम चुकता नहीं हो जाती तब तक वह रकम भरती रहेगी।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2023)

(a) इसमें कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?

(b) नैतिकता के नजरिए से बैंक मैनेजर के व्यवहार का मूल्यांकन कीजिए।

(c) इस हालत में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी?

उत्तर: उपर्युक्त केस अध्ययन में एक बैंक मैनेजर के व्यवहार से जुड़े कुछ नैतिक मुद्दे शामिल हैं, जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की सर्जरी के लिए निष्क्रिय खाते से धन जारी करने की सुविधा प्रदान की, जो राष्ट्रीयकृत बैंक में एक कार्यकारी के पिता है।

(a) शामिल नैतिक मुद्दे

- **गोपनीयता:** खाताधारक की सहमति के बिना निष्क्रिय खाते से धनराशि जारी करना गोपनीयता संबंधी चिंताओं को जन्म देता है। बैंकिंग लेनदेन में गोपनीय रहने की अपेक्षा की जाती है, और किसी व्यक्ति के खाते तक अनधिकृत पहुंच विश्वास का उल्लंघन है।
- **गैर-निष्पक्षता एवं असमानता:** किसी विशिष्ट व्यक्ति की व्यक्तिगत आपात स्थिति के लिए धन जारी करने के निर्णय को अनुचित या असमान व्यवहार के रूप में देखा जाना चाहिए। अनेक अन्य ग्राहकों की भी समान आवश्यकताएं हो सकती हैं, और संभव होगा कि उन्हें इस प्रकार का अधिमान्य उपचार प्राप्त न हो।
- **अधिकार का दुरुपयोग:** खाताधारक की सहमत के बिना धन जारी करने की सुविधा प्रदान करने के बैंक मैनेजर के निर्णय को अधिकार का दुरुपयोग माना जा सकता है। व्यक्तिगत कारणों से विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग किसी भी संस्था के हितधारकों के विश्वास को कमजोर करेगा।
- **गैरकानूनी:** ग्राहक खातों तक अनधिकृत पहुंच तथा उपयोग में कानूनी निहितार्थ शामिल हो सकते हैं। ऐसे कृत्य बैंकिंग नियमों और कानूनों के उल्लंघन को इंगित करते हैं।

(b) बैंक मैनेजर के व्यवहार का मूल्यांकन

नैतिक दृष्टिकोण से बैंक मैनेजर के व्यवहार को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में मूल्यांकित किया जा सकता है:

- **सकारात्मक पहलू:** बैंक मैनेजर किसी व्यक्ति की कठिन परिस्थिति में मदद करने की इच्छा रखता है। जीवन को बचाने के लिए धन देने से बैंक मैनेजर की करुणा, समानुभूति तथा सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्यों का प्रदर्शन होता है।
- **नकारात्मक पहलू:** बैंक मैनेजर का निर्णय गोपनीयता को भंग करने तथा विवेकाधीन शक्तियों का अनुचित उपयोग करने के कारण नैतिक रूप से उचित नहीं है। खाताधारक की सहमति के बिना धन की निकासी को व्यावसायिक नैतिकता के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। इसके संभावित कानूनी निहितार्थ हो सकते हैं।

(c) उपर्युक्त स्थिति में उचित प्रतिक्रिया

- **व्यावसायिकता बनाए रखना:** बैंक में एक कार्यपालक के रूप में व्यावसायिकता को बनाए रखना तथा नैतिक मानकों का पालन करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए गोपनीयता अथवा निष्पक्षता का उल्लंघन करने वाले किसी भी कार्य का समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए।
- **मैनेजर के साथ चिंताओं पर चर्चा करना:** ऐसी स्थिति आने पर बैंक मैनेजर के साथ व्यक्तिगत चर्चा के माध्यम से उठाए गए कदमों के नैतिक निहितार्थों एवं संभावित परिणामों पर चर्चा की जानी चाहिए।
- **पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना:** बैंक के भीतर पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रक्रियाओं की वकालत करनी चाहिए जिससे ग्राहकों के समक्ष आने वाली संभावित आपात स्थितियों या वित्तीय कठिनाइयों का कुशलतापूर्वक समाधान किया जा सके।
- **सहायता को ऋण में परिवर्तित करना:** चूँकि सहकर्मी पुनर्भुगतान के लिए प्रतिबद्ध है और पहले से ही भुगतान कर रहा है। ऐसी स्थिति में, कार्यपालक द्वारा बैंक मैनेजर को जारी की गई राशि को ऋण में परिवर्तित करने के लिए सुझाव दिया जाना चाहिए। इससे संगठन के प्रति बैंक मैनेजर के आचरण संहिता को तार्किक बनाया जा सकता है।
- **कानूनी सलाह लेना:** ऐसी स्थिति में कानून के उल्लंघन से संबंधित मुद्दे शामिल हो सकते हैं। अत: किए गए कृत्य के निहितार्थ की तार्किकता की समझ हेतु कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त केस अध्ययन के संदर्भ में बैंकिंग संस्थान की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए नैतिक मानकों के पालन के साथ समानुभूति को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी नीतियों को प्रोत्साहित करने से नैतिक सिद्धांतों से समझौता किए बिना ग्राहकों की वित्तीय कठिनाइयों का समाधान करने में मदद मिल सकती है।